प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 19 मई, 2021***

विषय:- जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साजिद पुत्र श्री इलियास, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5182/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.03.2021) दिनांक-03.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साजिद पुत्र श्री इलियास, मौ0, मंगल बाजार, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ का निवासी है। वादिनी के पति इरशाद व साजिद दूध का काम करते थे, इरशाद का काम अभियुक्त से अच्छा चल रहा था, जिस वजह से वह रंजिश मानता था। इसी कारण बंदी ने दिनांक 08.05.2005 को पत्नी के साथ साईकिल से घर आते समय इरशाद की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-557, 646/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 28.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक **15** वर्ष **08** माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह **19** दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी के रिहा होने पर अपराध कारित करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने व समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित करने की संभावना होने, जेल रिपोर्ट अनुसार बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष 06 माह है तथा स्वस्थ होने, बंदी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि समयपूर्व रिहाई के उपरान्त कोई अप्रिय घटना घटित होने से इंकार नहीं किये जाने व फरार होने से समाज में रोष व्याप्त होने, बंदी को जेल में निरूद्ध रखा जाना नितान्त आवश्यक होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर कुप्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किये जाने, दोनों परिवारों के मध्य आपसी रंजिश चलने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने इरशाद के दूध का काम अच्छा चलने की रंजिश में बंदी ने दिनांक 08.05.2005 को पत्नी के साथ साईकिल से घर आते समय इरशाद नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने व फरार होने की सम्भावना होने, अशक्त न होने, दोनों परिवारों के मध्य रंजिश होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, पुलिस अधीक्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की रिपोर्ट अनुसार दोनों परिवारों के मध्य विवाद बना रहने, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की संभावना न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साजिद पुत्र श्री इलियास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

3- प्रश्नगत प्रकरण विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-8159/2020 साजिद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी साजिद (बन्दी संख्या-96/19) पुत्र श्री इलियास, निवासी जनपद-मरेठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2021/898(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मरेठ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-59/2021/898/22-2-2021-17(1143)/2019

दिनांक 19 मई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साजिद पुत्र श्री इलियास, मौ0, मंगल बाजार, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ का निवासी है। वादिनी के पति इरशाद व साजिद दूध का काम करते थे, इरशाद का काम अभियुक्त से अच्छा चल रहा था, जिस वजह से वह रंजिश मानता था। इसी कारण बंदी ने दिनांक 08.05.2005 को पत्नी के साथ साईकिल से घर आते समय इरशाद की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-557, 646/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 28.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक **15** वर्ष **08** माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह **19** दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी के रिहा होने पर अपराध कारित करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने व समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित करने की संभावना होने, जेल रिपोर्ट अनुसार बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष 06 माह है तथा स्वस्थ होने, बंदी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि समयपूर्व रिहाई के उपरान्त कोई अप्रिय घटना घटित होने से इंकार नहीं किये जाने व फरार होने से समाज में रोष व्याप्त होने, बंदी को जेल में निरूद्ध रखा जाना नितान्त आवश्यक होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर कुप्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किये जाने, दोनों परिवारों के मध्य आपसी रंजिश चलने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने इरशाद के दूध का काम अच्छा चलने की रंजिश में बंदी ने दिनांक 08.05.2005 को पत्नी के साथ साईकिल से घर आते समय इरशाद नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने व फरार होने की सम्भावना होने, अशक्त न होने, दोनों परिवारों के मध्य रंजिश होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार दोनों परिवारों के मध्य विवाद बना रहने, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की संभावना न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साजिद पुत्र श्री इलियास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in